

फर्द अहकाम
(नियम-26)

2018/00078

अज अदालत

लाभाराम

नियम

सताराम

किस्म मुकदमा

88. 188. 271

बनाम

नं. 32 सन. 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/4/18	<p>वादी /वादीगण की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री लाभाराम ने अन्तर्गत धारा 88/188 का पेश किया । जिस पर कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की, कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो ,प्रतिवादी को वाद पत्र के सम्मन मय वाद पत्र की प्रति के, जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल/,जवाबदावा तारीख 8/5/18 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालेश्वर</p>	
8-5-18	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली आयन्दा दिनांक 28/8/18 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालेश्वर</p>	
8/6/18	<p>पत्रावली आज वादीगण के धारित पत्र पेश होने पर राजस्व लोक अदालत के अध्यक्ष भास्वरसर में पेश हुई।</p> <p>वादी लाभाराम व प्रतिवादी सताराम उपस्थित होकर इस आशय का सपीनाका पेश कर निवेदन किया की वादीगण उरर वाद पत्र उम्हृत करने के बाद वादीगण एवं प्रतिवादी शरणा 1 ने समाज के मौजिज लोगो रिश्तेरारी, बड़े - बच्चुगो में सम्मार्शिरा से एवं लोक अदालत की भावना से</p>	<p>लाभाराम</p> <p>सताराम</p>

राजिनामा कर लिखा है।
वादीगण को मासिक वेतन प्राप्त
रक. नं. 724/242 रकबा 14 बीघा
16 बिन्वा सरहद मौजा बोरामा
पुरोहितान लखीम पंचपदरा की भूमि
के 314 हिस्सा एवं जतिवादी लख्वा।
सताराम को 114 हिस्से का खातेदार
घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड
में दुरुस्ती की सहमती जाहिर भी
गयी।

दोनों पक्षकारों को राजिनामा
के इलाकत को पश्चर सुनाया
गया। जिनको राजिनामा की इलाकत
में लगी होना स्वीकार किया जाके
जाने राजिनामा लखीम किया गया है
मासिक राजिनामा वेतन स्वीकार
कर अक्षरों दिया जाता है की
उक्त आराजीपात में वादीगण को
314 हिस्सा सहखातेदार घोषित किया
जाता है जतिवादी लख्वा - 1 सताराम
को 114 हिस्सा घोषित किया जाता
है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में
दुरुस्ती की गयी पत्र जारी हो
सकती है जेजल सुनार क्षेत्र
शासिल रूपवर हो।

निरीप आज राजस्व लेक अपालत
में एक आकरपर में सुनाया गया है

(नारायण राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री श्रीजीराम राम

उपखण्ड अधिकारी का नाम श्री श्रीजीराम राम उन्वान सताराम
बनाम

दावा बाबत 88, 188, 127/1

फाइल नम्बर :- 32/10

नेर्णय दिनांक :- 8/6/18

वादी की ओर से श्री श्रीजीराम राम की व प्रतिवादी की ओर से शताराम की
परिस्थिति में इस वाद में आज तारीख 8/6/18 को श्री श्रीजीराम राम (नाम पीठासीन अधिकारी),
उपखण्ड अधिकारी, के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और
डिक्री दी जाती है कि -

श्री श्रीजीराम राम वाद सीमा कर प्रवेश दिया जाता है श्री वाद
प्लॉट नं. 724/242 रस्ता 14 दीघा 16 दीघा में वादीगण शंकर-1
का 314 व वादीगण 2 का 3/4 दीघा, अतीवादीगण का दीघा 114
द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। इसी प्रकार सहस्रकवार
पक्षपक्ष संपत्ति रेकर्ड में दर्ज करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 8/6/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्री श्रीजीराम राम)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट केम्प-201
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा